

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2019

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत संचालित वायु सेवा के लिए सीट अपडरराईटिंग की धनराशि का भुगतान किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या: 664/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 06 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जेट एयरवेज (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा माह अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2019 तक के सीट अन्डरराईटिंग हेतु प्रस्तुत क्लेम रु0 64,75,000/- (रूपए चौंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) का भुगतान किये जाने के निमित्त कुल रु0 64,75,000/- (रूपए चौंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जेट एयरवेज (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा माह अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2019 तक के सीट अन्डरराईटिंग हेतु प्रस्तुत क्लेम रु0 64,75,000/- (रूपए चौंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) के भुगतान हेतु उक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस कार्य पर रु0 64,75,000/- (रूपए चौंसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।
- III. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- IV. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

2/...

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा लेखाषीर्षक "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या: 29/2019/547(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) उप महालेखाकार/ई०एस०-III, आडिट भवन, टी०सी०-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ नियोजन अनुभाग-4/ राजस्व अनुभाग-13
- (5) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।